



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 885-4/अका./का.प./2009

रायपुर, दिनांक : 19 / 01 / 2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक बुधवार, दिनांक 30.12.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	प्रो. बंशीलाल खण्डेलवाल	—	सदस्य
3.	प्रो. विभूति राय	—	सदस्य
4.	प्रो. एस.के. सिंह	—	सदस्य
5.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	—	सदस्य
6.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	—	सदस्य
7.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
8.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	—	सदस्य
9.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	—	सदस्य
10.	श्री अशोक लोहिया	—	सदस्य
11.	श्री महेश चंद्र शर्मा	—	सदस्य
12.	श्री देवजी भाई पटेल	—	सदस्य
13.	श्री रामजी भारती	—	सदस्य
14.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	—	सदस्य
15.	डॉ. शिव कुमार डहरिया	—	सदस्य
16.	डॉ. इंदु अनंत, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.11.2009 एवं आपातिक बैठक दिनांक 14.12.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.11.2009 एवं आपातिक बैठक दिनांक 14.12.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.12.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.12.2009 कार्यवृत्त विषय क्रमांक 5 पर चर्चा हुई, निरीक्षण समिति (पूर्व निरीक्षित) ने किस आधार पर रिपोर्ट दी है, से जानकारी माँगी जाय। विषय क्रमांक 3 पर कल्याण महाविद्यालय से संबंधित सीट वृद्धि पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के डबल बेंच के निर्णय की प्रतीक्षा की जाय।

&

3. छात्रा कु. उमा तिवारी, बी.काम. अंतिम वर्ष 2002 रोल नं. 33496 के परीक्षा परिणाम निरस्त किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करा कर, परीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ संवाद के देयक क्रमांक 10846 दिनांक 16.09.2009 रूपये 5,35,751/- की स्वीकृति एवं भुगतान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद के देयक क्रमांक 10846 दिनांक 16.09.2009 रूपये 5,35,751/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत, वरिष्ठ वेतनमान रूपये 10,000-325-15,200 निम्नांकित शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये तिथि से स्वीकृत करने पर विचार करना -

01. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, व्याख्याता वर्तमान में रीडर, प्रा.भा.इतिहास	-	28.03.2009
02. डॉ. (कु.) संस्कृति जोसेफ, व्याख्याता, प्रबंधन संस्थान	-	24.02.2009
03. डॉ. जी.के. देशमुख, व्याख्याता, प्रबंधन संस्थान	-	28.08.2009

निर्णय : अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा मान्य की गई।

6. विश्वविद्यालय के निलम्बित सहायक यंत्री श्री बी.पी. भंवर के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : श्री बी.पी. भंवर सहायक यंत्री को निर्माण कार्यो एवं अपने अन्य दायित्वों को निर्वहन में अनियमितता का आरोप लगाकर निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया गया था। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.10.2009 में सर्वसम्मति से विचार उपरान्त अमान्य करते हुए पुनः विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया गया था। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.11.2009 में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत मूल दस्तावेज विश्वविद्यालय प्रशासन एकत्रित कर प्रस्तुत करे। आज की बैठक में कुलसचिव ने जानकारी दी कि समस्त दस्तावेज एकत्रित कर लिये गये हैं। उन्हें निर्देशित किया गया कि समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायें। कार्यपरिषद् ने श्री भंवर के प्रकरण में निहित मुद्दों, तकनीकी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तकनीकी जांच सम्पन्न करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को दायित्व सौंपा जाय। उच्च शिक्षा विभाग तकनीकी जांच पूर्ण कर 3 माह के अंदर, प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. श्री मनोज कुमार दुबे, अधिवक्ता के शुल्क निर्धारण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

8. Coaching Classes for Entry in Service for Sc/St and minorities प्रारंभ करने की अनुमति/स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

9. कम्प्यूटर भवन विस्तार निर्माण चतुर्थ चल देयक रूपये 15,13,654/- के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : कम्प्यूटर भवन विस्तार निर्माण चतुर्थ चल देयक रूपये 15,13,654/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. क्रीडा समिति के निर्णय दिनांक 04.09.2009, दिनांक 09.09.2009, दिनांक 09.12.2009 एवं दिनांक 15.12.2009 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 04.09.2009, दिनांक 09.09.2009, दिनांक 09.12.2009 एवं दिनांक 15.12.2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

पूरक विषयसूची

1. मुख्य परीक्षा 2010 के लिये परीक्षा केन्द्र का अनुमोदन करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि मुख्य परीक्षा केन्द्र के साथ 2010 के लिये 8 नये परीक्षा केन्द्रों की स्वीकृति, के प्रस्ताव को मान्य किया गया।

2. छात्र अभिषेक कुमार सेमसन के आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2009 पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर निर्णय लिया जाएगा। Dean की संस्तुति के संबंध में भी अनुशंसा किन नियमों के अंतर्गत कि गई है ? संबंधितों से जानकारी ली जाय।

3. Merged Scheme के तहत रूपये 90,000/- की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिये Merged Scheme के तहत रूपये 90,000/- की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी को अर्थशास्त्र विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने विषयक प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी को अर्थशास्त्र विषय के लिये "शोध केन्द्र" मान्य किया गया।

5. डॉ. सुभाष चन्द्राकर, कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंध में दुर्गा महाविद्यालय से प्राप्त पत्र पृ. क्रमांक 12/02/09 दिनांक 24.11.2009 पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि डॉ. सुभाष चन्द्राकर, कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को 1 वर्ष के लिये अथवा राज्य शासन द्वारा पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो प्रतिनियुक्ति पर मान्य किया गया।

6. भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.12.2009 की अनुशंसा को कार्यपरिषद् ने स्वीकृति प्रदान की। विश्वविद्यालय के बजट 2009-10 के पृष्ठ क्रमांक 13 जो 100 लाख का प्रावधान है एवं चारदीवारी निर्माण के लिये 50 लाख का प्रावधान को पुनर्निविद्योजन मरम्मत मद में किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की।

7. बजट में परीक्षा मद के लिये प्रावधानित राशि से गोपनीय मुद्रण हेतु रु. 15 लाख की राशि विनियोजित करने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : बजट में परीक्षा मद के लिये प्रावधानित राशि से गोपनीय मुद्रण हेतु रु. 15 लाख की राशि विनियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. पी.-एच.डी./ डी.लिट्. शोधार्थियों की सूची दिनांक 07.01.2009 से दिनांक 29.12.2009 तक कुल 143 शोधार्थियों को पी.-एच-डी./डी.लिट्. उपाधि प्रदान की गई है। संकायवार जानकारी की सूची संलग्न है। माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि पी.-एच.डी./ डी.लिट्. शोधार्थियों की सूची (दिनांक 07.01.2009 से दिनांक 29.12.2009 तक) अनुमोदित की गई। कुल 143 शोधार्थियों को पी.-एच.डी./ डी.लिट्. उपाधि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. प्रो. जी.एल. मूंदड़ा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पेंशन प्रकरण संबंधी जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करना।

निर्णय : प्रो. जी.एल. मूंदड़ा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का पेंशन प्रकरण का निपटारा जांच समिति की अनुशंसा के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. 03 महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति का लिफाफा खोला गया और कार्यपरिषद् द्वारा निम्नानुसार महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया—

क्र.	महाविद्यालय का नाम	नियुक्त प्राचार्य
1.	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा (राजिम), जिला-रायपुर	डॉ. (श्रीमती) शैल प्रभा कोष्टा
2.	पी.जी. कॉलेज आफ नर्सिंग, स्ट्रीट-5, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई	श्रीमती अभिलेखा बिस्वाल
3.	जी.डी. रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका, कुरुद रोड, भिलाई	डॉ. (श्रीमती) शोभा गावरी

अंत में प्रो. बंशीलाल खंडेलवाल की कार्यपरिषद् में सदस्यता समाप्ति पर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर, विदाई दी गई एवं डॉ. खंडेलवाल के अमूल्य सुझावों के लिये उन्हें धन्यवाद दिया गया।



कुलपति

अध्यक्ष



कुलसचिव

सचिव

पृ.क्र. : 8855 / अका. / का.प. / 2009

रायपुर, दिनांक : 19 / 01 / 2010

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



उप कुलसचिव (अका.)